क्रमांक- 01-02/अ.अ./03/2021/11 दिनांक - 28/09/2021

सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री जी.एल.चन्द्रा, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. – 0771–2574700

O/c E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 3679
Date 04 OCT 2021
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

अपील प्रकरण क्रमांक 03/2021 दिनांक 06.09.2021

श्री पी.एस.नेताम अपीलार्थी
जगदलपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर

–:: आदेश ::–

(दिनांक 28/09/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री पी.एस.नेताम ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, होल्डिंग कंपनी के निर्णय दिनांक 16.08.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित जानकारी चाही गई है जिसे जनसूचना अधिकारी द्वारा नियम के अंतर्गत उपलब्ध नही करायी गई है।

(अ) छ.ग.स्टे.पॉ.कं.लिमि. में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के दिनांक 01.04.2021 से पूर्व अनुसूचित जनजाति के कितने पद रिक्त थे?

(ब) यदि अनुसूचित जनजाति के पद रिक्त थे तो इनके विरूद्ध किन–किन का पदोन्नति किया गया ?

(स) दिनांक 01.04.2021 के पूर्व अनुसूचित जनजाति के कितने कार्यपालन अभियंता (सिविल) पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके थे ?

(3) अपील की सुनवाई दिनांक 24.09.2021 को शामः 4:00 बजे निर्धारित की गई। नियत तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO), तथा अपीलार्थी उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) का पक्ष कथन कि कंडिका 02/–टीप में चाही गई जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 1648 दिनांक 16.08.2021 के माध्यम से आवेदक को अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी प्रश्नवाचक है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या कमांक 1/7/2009 आई–आर दिनांक 01.06.2009 के अनुसार प्रश्नवाचक प्रश्नों जैसे :–क्या, क्यों का जवाब दिया जाना अपेक्षित नही है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी तथा संबंधित प्रभाग के DPIO के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह विधि संगत है।

(iii) अपीलार्थी का तर्क कि उन्हे वांछित बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

(iv) उपरोक्त के संबंध में जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) का पक्ष कथन कि आवेदक द्वारा जो जानकारी चाही गई है, वह प्रश्नवाचक है। तथापि उक्त जानकारी इस

98

कार्यालय में संधारित नही है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित किया जाना अपेक्षित नही है।

उल्लेखनीय है कि आवेदक के पूर्व आवेदन दिनांक 16.07.2021 एवं अपील आवेदन दिनांक 06.09.2021 के विषयवस्तु में भिन्नतः है। यद्यपि सूचना के अधिकार के अंतर्गत वांछित जानकारी तथा अपील आवेदन के विषयवस्तु में भिन्नतः नही होना चाहिए।

अपील सुनवाई के दौरान आवेदक को कंडिका 02/–टीप के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अधीक्षण अभियंता (सिविल) की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति आदेश की प्रति से अवलोकन कराते हुए उन्हे अवगत कराया गया कि उक्त आदेश की प्रति पॉवर कंपनी के वेबसाइड में भी उपलब्ध है। यदि आप चाहे तो उक्त आदेश की प्रति अभी प्राप्त कर सकते है। किन्तु आवेदक का कथन कि उक्त आदेश की प्रति वे वेबसाइड से प्राप्त कर लेगें, अतः आदेश की प्रति लेने से मना किया गया।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 04 एवं 05/–टीप के पैरा (iv) में जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) द्वारा दिये गये तर्क पूर्णतः न्यायसंगत है, जो स्वीकार योग्य है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी द्वारा जो जानकारी चाही गई है वह प्रश्नवाचक है। तथापि उक्त जानकारी इस कार्यालय में संधारित नही है। अतः अपीलार्थी को उक्त जानकारी सृजन कर दिया जाना विधि संगत नही है। परिणामतः प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नही है।

अतएव कंडिका 05/–टीप के पैरा (iv) के दृष्टिगत उक्त प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 03/2021 दिनांक 06.09.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

28/9/21

(जी.एल.चन्द्रा)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

प्रतिलिपि :–

(1) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(3). श्री पी.एस.नेताम, मकान नबंर–ND-11, सी.एस.ई.बी. कालोनी, गीदम रोड़, जगदलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर